

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2245/2012/भीलवाड़ा

मैसर्स चांदमल खटीक,  
भीलवाड़ा  
बनाम

.....अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,  
भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 107/वैट/2011-12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश वर्ष 2009-10 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) आदेश दिनांक 05.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आरोपित राशि रुपये 33,163/- के संबंध में यह अपील प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी द्वारा चुनाई पत्थर व नदी की रेती पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर चैक पोस्ट पर प्रति ट्रिप का वैट 39 मूल रसीद कर निर्धारण अधिकारी के पास प्रस्तुत कर दी लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को इस संदर्भ में किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही वैट राशि में वृद्धि कर दी जो स्पष्ट रूप से वैट एक्ट का उल्लंघन है। जबकि वैट एक्ट में इस संदर्भ में धारा 8 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समिचीन है। इसके अधीन सलंगन सूची के स्तम्भ संख्या 2 में लिखित माल जो यार्न या वाहन के माध्यम से लाया गया या ले जाया गया हो के विक्रय या क्रय पर धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन संदेय कर से किसी व्यवहारी या व्यक्ति को इसके द्वारा इस शर्त पर छूट देती हैं कि ऐसा व्यवसाई या व्यक्ति ऐसे माल के संदर्भ में यथा विनिर्दिष्ट इसके स्तम्भ संख्या 3 में प्रत्येक के सामने यथा उल्लेखित छूट फीस का सदाय कर देता है अर्थात् उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नदी रेती पत्थर प्रति टिप से

लगातार.....2

वैट 39 के जरिये भुगतान कर दिया है तो उक्त खरीद पर कर दर से वैट आरोपित नहीं किया जा सकता और इस प्रकार की गई खरीद को वैट पैड माने जाकर छूट प्रदान करनी चाहिये थी जो नहीं किया गया अतः अधिक आरोपित वैट राशि रूपये 16,256/- अपास्त किये जावे। इस संदर्भ में कर बोर्ड निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स टैक्स बनाम टिकम चन्द खटवानी अजमेर अपील संख्या 1226 एवं 1227 निर्णय दिनांक 29.09.2006 अपीलार्थी द्वारा धारा 3(2) में पंजीकृत व्यवहारी माल खरीद जिस पर कर चुका है उस खरीद को सेल मानते हुए पुनः पूरा वैट आरोपित कर दिया जो दोहरे करारोपण का सूचक है जिसे विधि मान्यता नहीं देती है क्योंकि प्रार्थी द्वारा माल का उपयोग किया गया है न कि वैट बिल से बिक्री की है अतः इस पर आरोपित वैट राशि रूपये 16,907/- को निरस्त योग्य है। इस सन्दर्भ में कर निर्धारण अधिकारी ने कोई नोटिस जारी भी नहीं दिया जो वैट एक्ट के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

3. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारों को वैट-39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2426/2012/भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉन्फेब प्रा. लि., शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 में निम्न निर्णय दिया गया है :-

“10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर जमा कराई राशि जिसके संबंध में उसने वैट 07 भी प्रस्तुत किया है, अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों को आगत कर का समायोजन प्रतिबंधित है।

11. जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवं उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवं उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तदसंबंधित

संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरुद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवं न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।”

4. बहस के बिन्दू संख्या 2 में 3(2) व्यवसाई से खरीद पर करारोपण का बिन्दू उठाया है। धारा 3(2) के विक्रेता व्यवसाई ने राज्य सरकार को जो कम्पोजिशन राशि चुकाई है वह एक कम्पोजिशन स्कीम विशेष के तहत अन्य व्यवहारिक विभागीय सुविधाओं के तहत विकल्प का एक रूप है। अतः यदि ऐसे कम्पोजिशन व्यवसाई से कोई संविदाकर्ता माल खरीदता है और उसे आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लगाकर भुगतान करता है तो इस माल पर कर लगेगा क्योंकि यह कार्य डीम्ड सेल के समान होने से उस पर कर का दायित्व बनता है तथा ऐसे माल को खरीद के समय नहीं चुकाये गये कर को बाद में चुकाने का दायित्व बनता है, साथ ही यह संविदाकर्ता द्वारा की गई यह खरीद धारा 18 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अतः इस पर आई.टी.सी. भी देय नहीं होगा।

वैट अधिनियम के नियम 11 के उपनियम 2 के प्रावधानुसार इस प्रकार है :-

"The last point in the series of sales shall be the sale in such series by a registered dealer to a consumer or to an unregistered dealer or to a registered dealer for purposes other than resale within the state or to a registered dealer who has opted for payment of tax under subsection (2) of section 3 or section 5 of the Act. "

इस उपनियम में सेल्स की अंतिम बिन्दू की बिक्री को परिभाषित किया है। 3(2) व 5(1) के व्यवहारी को की गई बिक्री को अंतिम बिन्दू माना है। अपीलार्थी द्वारा 3(2) व 5(1) व्यवहारी से खरीद वर्क कॉन्ट्रैक्ट में काम में लिया है जो डीम्ड बिक्री की श्रेणी में आता है। वैट अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार :-


"Input tax credit shall be allowed to registered dealers, other than the dealers covered by sub section (2) of section 3 or section in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed."

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त वैट अधिनियम की धारा एवं नियम को सही परिभाषित नहीं किया तदनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने इसके तहत जो करारोपण किया है वह विधिसम्मत है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह बिन्दू उठाया है कि बिना विशिष्ट नोटिस जारी किये उनकी घोषित खरीद को अमान्य कर बिक्री बढ़ाकर लगातार.....4

करारोपण किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त(अपील्स) द्वारा प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, और इस संबंध में समुचित आदेश दिये हैं। इसलिये अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। लिहाजा इस बिन्दू पर अपीलार्थी का आक्षेप अस्वीकार किया जाता है।

6. फलतः व्यवसाई की अपील अस्वीकार की जाती है।

  
(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य